FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0049 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 29/03/2024 15:55 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 26/03/2024 **Date To (दिनांक तक):** 27/03/2024
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 09:30 बजे **Time To (समय तक):** 16:35 बजे
   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 29/03/2024 **Time (समय):** 13:30 बजे
   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 29/03/2024 15:55:18 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 465 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE
   (b)**Address(पता):** Fertilizer and Seeds Shop, Kaesrimal Mohanlal Paokhrana, Kasba Vallbhnagar
   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**
   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Laogrlal

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** Gokul ji

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1979 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Uda Khera, VALLABHNAGAR , UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	Uda Khera, VALLABHNAGAR , UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-6377402759

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Bajrng Singh		पिता:Puranmal Meena	1. Police station vallabhnagar,VALLABHNAGAR ,UDAIPUR,RAJASTHAN,INDIA
2	Kamalesh Paokhrna		पिता:Bhanwarlal ji	1. Paokhrna Gali,Sadar Bajar Vallabhnaga,UDAIPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,00,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,00,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, वाकियात मामला इस प्रकार निवेदन है की प्रार्थी लोगर लाल पुत्र श्री गोकल जी जाति गायरी निवासी उदा खेडा पुलिस थाना वल्लभनगर द्वारा ब्यूरो इकाई उदयपुर पर उपस्थित हो एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि दिनांक 22.3.2024 को मेरी जेसीबी एवं टेक्टर मेरे घर पर खडे थे कि शाम को 8.15 पीएम पर थानाधिकारी श्रीमती दीपिका राठौड मय जाब्ता मेरे मकान पर आये तथा मेरे बाडे में रखी हुई जेसीबी तथा टेक्टर थाने में ले जाने के लिये जा रहे थे । मैंने कहा क्यों ले जा रहे हो उन्होने कहा तुम अवैध खनन करते हो इस तरह से धमकी देकर मेरी जेसीबी व टेक्टर लेकर गये है। मौके पर मेरे कोई हस्ताक्षर नहीं करवाए हैं मेरे वाहन पुलिस थाना वल्लभनगर में रखे हुए हैं। दलाल श्री कमलेश पोखरना का मेरे मोबाईल पर फोन आया कि थानाधिकारी वल्लभनगर वाहन छोडने की एवज में 1,50,000 (एक लाख 50 हजार) रूपये की मांग कर रह हैं इस तरह मेरे बार बार फोन कर रूपये की मांग कर रहा है दिनांक 24.3.2024 को श्री कमलेश पोखरना मेर घर पर आया और मुझे कहा कि तेरे वाहन नही छुडाने है क्या तो मैंने बताया कि मेरे वाहन तो छुडवाने है लेकिन मेडम तो 1,50,000 रूपये मांग रही है मैं इतने पैसे नहीं दे सकता हूं जिस पर उसने कहा तुम थाने पर आ जाओ मैं मेडम से बातचित कर तुम्हारे पैसे कम करवा दूंगा इस तरह थानाधिकारी वल्लभनगर एवं दलाल श्री कमलेश पोखरना को मैं रिश्वती राशि नहीं देना चाहता हूं न ही मेरी उनसे कोई दुश्मनी है नहीं मैंने उक्त दोनो से रूपये उधार लिये हैं। अतः रिपोर्ट मैंने मेरे दोस्त श्री नारायणलाल पुत्र भेराजी डांगी निवासी भीमल चारण ने मेरे बोले अनुसार रिपोर्ट लिखी है रिपोर्ट पेश है कानूनी कार्यवाही करावें। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री पुष्करलाल हैडकानि ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष परिवादी श्री लोगर लाल पुत्र श्री गोकल जी जाति गायरी निवासी उदा खेडा पुलिस थाना वल्लभगनर जिला उदयपुर मय उसके परिचित श्री नारायणलाल द्वारा दिनांक 25-3-2024 को समय करीबन 9.10 एएम पर उपस्थित होकर प्रस्तुतशुदा लिखित रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि ब्यूरो इकाई उदयपुर पर दिनांक 25-03-2024 को समय करीबन 9.10 एएम पर परिवादी श्री लोगर लाल पुत्र श्री गोकल जी जाति गायरी निवासी उदा खेडा पुलिस थाना वल्लभगनर जिला उदयपुर अपने परिचित श्री नारायणलाल के उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट ब्यूरो इकाई पर उपस्थित होकर पुष्कर लाल हैडकानि को थानाधिकारी वल्लभनगर श्रीमती दीपिका राठोड व उसके दलाल कमलेश पोखरना के मार्फत 1.50 लाख रूपये की रिश्वत मांगने की प्रस्तुत की जिस पर पुष्करलाल हैडकानि. द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये दूरभाष अवगत कराया गया। जिस पर पुष्कर लाल हैडकानि द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही के क्रम में श्री टीकाराम कानि. नं. 476 को कार्यालय में बुला कर अग्रिम रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता कराने हेतु निर्देशित किया गया एवं पुष्कर लाल हैडकानि. द्वारा परिवादी को ब्यूरो की कार्य प्रणाली (ट्रेप कार्यवाही) के बारे में समझाईश की जाकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के क्रम में रिश्वती राशि मांग सत्यापन कराना आवश्यक होना अवगत कराया गया एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार पुष्कर लाल हैडकानि द्वारा श्री टीकाराम कानि. को कार्यालय में तलब कर परिवादी श्री लोगरलाल व उसके परिचित नारायणलाल का श्री टीकराम कानि. का आपस में परिचय करा एक-दूसरे के मोबाईल नम्बर आपस में दिलाये जाकर अग्रिम रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 26-3-2024 को कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर आज दिनांक 26-03-2024 को प्रातः 9.20 बजे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री पुष्कर लाल हैडकानि. द्वारा कार्यालय आलमारी से डिजिटल टेप रिकार्डर निकाल उसमें नया रिक्त मेमोरी कार्ड डाल कर डिजिटल टेप रिकार्डर श्री टीकराम कानि. नं. 476 को सुपुर्द कर निर्देशानुसार ईमदाद हेतु श्री सुरेश कानि. नं. 424 को भी मुनासिफ हिदायत दी जाकर रूखसत किया गया। तदुपरांत मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी द्वारा प्रस्तुतशुदा रिपोर्ट दिनांक 26.3.2024 का अवलोकन किया गया तो रिपोर्ट पुलिस थाना वल्लभनगर के थानाधिकारी श्रीमती दीपिका राठौड द्वारा परिवादी के बाडे में खडे जेसीबी व टैक्टर वाहन को पुलिस थाने ले जाना व उसको छोडने की एवज में अपने दलाल श्री कमलेश पोखरना के मार्फत 1.50 लाख रूपये की रिश्वत मांगने की होना प्रमाणित पाया गया। श्री टीकाराम व सुरेश कानि. के ब्यूरो में उपस्थित होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। तदुपरांत श्री टीकाराम कानि ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर अवगत कराया गया कि मैं आज सुबह श्रीमान के निर्देशानुसार श्री पुष्करलाल हैडकानि. से ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर जिसमें नया रिक्त मैमोरी कार्ड के सुबह 9.20 एएम पर श्री सुरेश कुमार कानि. के साथ

रवाना होकर समय करीबन 10.30 एएम पर वल्लभनगर कस्बे के कुछ पहले एकान्त स्थान पर रूके जहां पर मेरे द्वारा परिवादी से जरिये दूरभाष सम्पर्क किया गया तो परिवादी एकान्त जगह पर उसके परिचित श्री नारायण लाल के जहां पर मेरे द्वारा परिवादी उपस्थित मिला जिस पर मेरे द्वारा श्री सुरेश कुमार कानि के समक्ष परिवादी को ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकार्डर के संचालन (बन्द व चालू करना एवं वार्ता रिकार्ड करना) भली भांती समझाई जाकर ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकार्डर परिवादी श्री लोगरलाल को चालु कर सुपुर्द किया जाकर परिवादी को समय करीबन 10.51 एएम पर वल्लभनगर कस्बे में स्थित दलाल श्री कमलेश पोखरना की खाद व सीमेन्ट की दूकान की ओर रवाना कर मैं व श्री सुरेश कुमार कानि भी वल्लभनगर कस्बे में स्थित दलाल श्री कमलेश पोखरना की खाद व सीमेन्ट की दूकान के आस पास अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाये परिवादी के पुनः आने के इन्तजार में खडे रहे कि समय करीबन 11.36 एएम पर परिवादी को वल्लभनगर कस्बे में स्थित दलाल श्री कमलेश पोखरना की खाद व सीमेन्ट की दूकान से बाहर आकर पुनः उसी एकान्त स्थान की ओर जाने लगा पीछे-पीछे मैं व सुरेश भी गये जहां परिवादी ने ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकार्डर मुझे दिया जिसे मेरे द्वारा बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा एवं परिवादी से पूछा गया तो परिवादी बताया कि मैं दलाल कमलेश पोखरना से जाकर मिला था तो उसने मुझे कहा कि थानाधिकारी मेडम ने 1.50 लाख रूपये के लिये कहा है और मेरे सामने ही थानाधिकारी मेडम को कॉल कर बात कि तो मेडम ने कहा कि होली का प्रोग्राम चल रहा है 2 घण्टे बाद थाने पर आकर मिलना फिर मैंने दलाल कमलेश पोखरना को 2 घण्टे बाद मिलने को कहा। फिर मैं परिवादी व सुरेश वहां से रवाना होकर अन्य एकान्त स्थान में 2 घण्टे व्यतीत किये और फिर हम तीनो वापस वल्लभनगर कस्बे के पास आये और मैंने वापस ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकार्डर के संचालन की विधि वापस समझाई जाकर परिवादी को डिजीटल टेप रिकार्डर चालु कर समय करीबन 2.17 पीएम पर वल्लभनगर कस्बे में स्थित दलाल श्री कमलेश पोखरना की खाद व सीमेन्ट की दूकान की ओर रवाना कर मैं व श्री सुरेश कुमार कानि भी वल्लभनगर कस्बे में स्थित दलाल श्री कमलेश पोखरना की खाद व सीमेन्ट की दूकान के आस पास अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाये परिवादी के पुनः आने के इन्तजार में खडे रहे कि समय करीबन 4.52 पीएम पर परिवादी वल्लभनगर कस्बे में स्थित दलाल श्री कमलेश पोखरना की खाद व सीमेन्ट की दूकान से बाहर आकर पुनः उसी एकान्त स्थान की ओर जाने लगा पीछे-पीछे मैं व सुरेश भी गये जहां परिवादी ने ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकार्डर मुझे दिया जिसे मेरे द्वारा बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा एवं परिवादी से पूछा गया तो परिवादी बताया कि मैं दलाल श्री कमलेश पोखरना की दूकान पर गया और उससे बात कर रहा था कि इसी दौरान पुलिस थाना वल्लभनगर एक कानिस्टेबल बजरंगसिंह दलाल की दूकान पर आया और कहा कि ये कमलेश जी मेडम ने इनको पूरा पावर दे रखा है, मेडम डेढ लाख रूपये के लिये कह रही है, मैं अब मेडम से बात नहीं कर सकता मेडम 1.50 लाख से कम नहीं करेगी, मेडम तो पैसे के बिना नहीं मानेगी और आपसे भी कोई वार्ता नहीं करेगी। आप थाने पर व्यवस्था कर थाने पर आ जाना मेरे वार्ता कर ले ना फिर मेरे द्वारा उपरोक्त हालात श्रीमान को अवगत कराये एवं श्रीमान के निर्देशानुसार हम तीनो वापस उक्त एकान्त स्थान से आगे जाकर रूके व मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा शाम होने का इन्तजार किया फिर शाम को पुनः हम तीनो वापस वल्लभनगर कस्बे के पास आये और मैंने वापस परिवादी को ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकार्डर के संचालन की विधि समझाई जाकर परिवादी को डिजीटल टेप रिकार्डर चालु कर समय करीबन 7.02 पीएम पर वल्लभनगर थाने की ओर रवाना किया व मैं व सुरेश भी वहां परिवादी के पीछे-पीछे पुलिस थाना वल्लभनगर के आस-पास अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाये खडे थे कि समय करीबन 8.43 पीएम. पर परिवादी पुनः थाना परिसर से बाहर निकल कर एकान्त स्थान की ओर रवाना हुआ पीछे-पीछे मैं व सुरेश भी रवाना होकर परिवादी के पास पहुंचे जहां पर परिवादी ने ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकार्डर मुझे सुपुर्द किया जिसे बन्द कर मैंने मेरे पास सुरक्षित रखा और परिवादी को पूछने पर बताया कि थाने मैं थानाधिकारी मेडम दीपिका राठौड से मिला तो उन्होने मुझसे मेरी जेसीबी और टेक्टर के चालान कागज तैयार किये और उस पर मेरे हसताक्षर करवाये और मेरा लाईसेन्स ले लिया और मेरे वाहन ले जाने को कहा। फिर मैंने श्रीमान को उपरोक्त हालात जरिये दूरभाष अवगत कराये तो मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री टीकाराम कानि द्वारा परिवादी को वहीं से रूखसत देकर थानाधिकारी को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वती राशि 1,50,000 रूपये की व्यवस्था कर दिनांक 27-3-2024 को प्रातः 10.00 बजे उपस्थित मिलने और इससे पहले दलाल, कानि. अथवा थानाधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार से सम्पर्क करने पर टीकाराम कानि. या सुरेश कानि से सम्पर्क करने आदि मुनासिफ हिदायत देकर वहीं से रूखसत कर दिया व टीकाराम कानि व सुरेश कानि. दोनो वहां से रवाना होकर ब्यूरो इकाई पर उपस्थित हुए हैं। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री सुरेश कुमार कानि से पूछा गया तो श्री सुरेश कुमार कानि. एवं श्री टीकराम कानि. द्वारा अवगत कराये उपरोक्त हालात की ताईद की गई। मन् अतिरिक्त पुलिस आ्ीक्षक द्वारा श्री टीकाराम कानि. द्वारा प्रस्तुत ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकार्डर चला कर सुना गया तो थानाधिकारी वल्लभनगर श्रीमती दीपिका राठौड द्वारा परिवादी के वाहन जेसीबी व टेक्टर परिवादी के बाडे से थाने पर ले जाना व इन वाहनों को छोडने की एवज में थाने के कानिस्टेबल बजरंग सिंह व दलाल श्री कमलेश पोखरना के मार्फत 1,50,000 रूपये रिश्वत की मांग करने की पुष्टि होती हैं। अभी समय रात्रि का होने एवं अग्रिम ट्रेप कार्यवाही कल दिनांक 27-3-2024 को करना आवश्यक होना एवं अग्रिम कार्यवाही के क्रम में दो स्वतंत्र गवाह की तलबी एवं थानाधिकारी महिला होने से महिला कानि. की तलबी कल सुबह की जावेगी। डिजीटल टेप रिकार्डर को श्री पुष्करलाल हैडकानि. को

कार्यालय आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। उपरोक्त ट्रेप के हालात श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रनिब्यूरो उदयपुर रेन्ज उदयपुर को अर्ज कर ट्रेप कार्यवाही में ईमदाद हेतु श्री रतनसिंह पुलिस उप अधीक्षक भ्रनिब्यूरो चौकी डूंगरपुर को मय जाब्ते की तलबी हेतु निवेदन किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के क्रम दो स्वतंत्र गवाह की तलबी के क्रम में तहरीर क्रमांक 955 दिनांक 27.3.2024 तहसीलदार गिर्वा जिला उदयपुर के नाम जारी की जाकर श्री गुलाबसिंह हैडकानि. को रवाना तहसील कार्यालय गिर्वा जिला उदयपुर किया गया एवं टे^aप कार्यवाही के क्रम में महिला कानि. की तलबी हेतु तहरीर क्रमांक 954 दिनांक 27-3-2024 संचित निरीक्षक पुलिस लाईन उदयपुर के नाम जारी कर तहरीर जरिये ई-मेल भिजवाई जाकर जरिये दूरभाष भी संचित निरीक्षक कार्यालय महिला कानि.हेतु सम्पर्क किया गया। श्री गुलाबसिंह हैडकानि. पैरा उपरोक्त का रवाना शुदा मय स्वतंत्र गवाहान श्री नवलसिंह वरिष्ठ लिपिक व श्री गोपाल डांगी के कार्यालय में उपस्थित हुआ। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान का परिचय पूछा गया तो स्वतंत्र गवाह ने अपना परिचय क्रमशः श्री नवलसिंह पुत्र स्व. श्री नाहर सिंह जाति राजपूत उम्र 39 साल निवासी वरडा जातलाई तहसील बडगांव पुलिस थाना नाई जिला उदयपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय तहसीलदार गिर्वा जिला उदयपुर मोबाइल नं. 9636043066 एवं श्री गोपाल डांगी पुत्र श्री खेमराज डांगी जाति डांगी निवासी मनवाखेडा पुलिस थाना हिरणमगरी हाल पटवारी पटवार मण्डल उमरडा जिला उदयपुर मोबाईल नं. 7014373110 होना बताया गया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त दोनो स्वतंत्र गवाह को ब्यूरो द्वारा की जा रही गोपनीय कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने हेतु स्वीकृति चाही गई तो हर दोनो गवाहान द्वारा अपनी-अपनी मौखिक स्वीकृति प्रदान की गई। स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकार्डर श्री गुलाब सिंह कानि. से मंगवाया जाकर हर दोनो गवाहों को कल दिनांक 26-03-2024 को परिवादी एवं संदिग्ध दलाल, कानि. व थानाधिकारी के मध्य हुई वार्ताओं के मुख्य अंश को चला कर सुनाया गया तो हर दोनो गवाहान द्वारा भी रिश्वती राशि मांग सत्यापन की पुष्टि की गई। इसी दौरान तलब शुदा महिला कानि. सुश्री सोनल झाला नं. 2709 उपस्थित आई जिसे कार्यालय में बैठाया गया एवं ट्रेप कार्यवाही में टेक्सी की आवश्यकता होने से वाहनों की तलबी की जाने पर श्री रतनसिंह राजपुरोहित पुलिस उप अधीक्षक भ्रनिब्यूरो उदयपुर अतिरिक्त चार्ज ब्यूरो इकाई डूंगरपुर मय ब्यूरो इकाई डूंगरपुर के जाब्ता श्री नारायणलाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, श्री धिरेन्द्र सिंह कानि., श्री अख्तर हैडकानि., श्री बाबुलाल, महेश कानिगण मय सरकारी वाहन टवेरा के ब्यूरो इकाई पर उपस्थित आये। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री रतनसिंह राजपुरोहित पुलिस उप अधीक्षक का परिचय उपस्थित स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया एवं अब तक की गई कार्यवाही के हालात से अवगत करा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में सम्मिलित किया गया एवं तलबशुदा टेक्सी वाहन संख्या आरजे 27 टीबी 2277 मय चालक के उपस्थित आया। टेक्सी वाहन को परिसर में खडा करवाया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही आयोजन के क्रम में श्री रतनसिंह राजपुरोहित पुलिस उप अधीक्षक भ्रनिब्यूरो उदयपुर अतिरिक्त चार्ज ब्यूरो इकाई डूंगरपुर मय ब्यूरो इकाई डूंगरपुर के जाब्ता श्री नारायणलाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, श्री धीरेन्द्र सिंह कानि., श्री अख्तर हैडकानि., श्री बाबुलाल, महेश कानिगण व स्वतंत्र गवाहान श्री नवलसिंह व श्री गोपाल डांगी मय सरकारी वाहन टवेरा से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाब्ता श्री गजेन्द्र गुर्जर सउनि, श्री पुष्करलाल हैडकानि., गुलाबसिंह हैडकानि. मय ट्रेप बॉक्स, श्री टीकराम, श्री सुरेश कुमार कानि., सुश्री सोनल महिला कानि एवं श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक मय फिनोफथलीन पाउडर की शीशी व ट्रेप बॉक्स के टेक्सी वाहन नं. आरजे 27 टीबी 2277 मय चालक के रवाना कस्बा वल्लभनगर की ओर हुआ। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय उपरोक्त जाब्ता के सरकारी/टेक्सी वाहनों से रवानाशुदा कस्बा राणाकुडी पहुंचे जहां पर परिवादी तलवीदा मय उसके परिचित श्री नारायणलाल के उपस्थित मिला जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को सुरक्षित स्थान के बारे में पूछा गया तो परिवादी श्री लोगरलाल ने उसके परिचित श्री नारायणलाल के फार्म हाउस उपलब्ध कराया गया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान परिवादी लोगरलाल के परिचित श्री नारायणलाल के फार्म हाउस में पहुंच वाहनों का एक साईड खडा किया गया एवं परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय कराया गया एवं परिवादी की लिखित रिपोर्ट को परिवादी के परिचित नारायणलाल एवं उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पढ कर सुनाई गई तो परिवादी श्री लोगरलाल द्वारा लिखित रिपोर्ट शब्द ब शब्द सही होना एवं रिपोर्ट उसके कहे अनुसार उसके परिचित श्री नारायण लाल द्वारा लिखना और उस पर स्वयं के हस्ताक्षर होने की ताईद की गई। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी की लिखत रिपोर्ट पर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के परिचित श्री नारायणलाल के हस्ताक्षर करवाये गये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित स्वतंत्र गवाहान श्री नवलसिंह कनिष्ठ सहायक, श्री गोपालडांगी पटवारी व रतनसिंह राजपुरोहित पुलिस उप अधीक्षक व जाब्ते के समक्ष परिवादी श्री लोगरलाल को आरोपिया थानाधिकारी दीपिका राठौड के दलाल श्री बजरंगसिंह मीणा कानि व श्री कमलेश पोखरना को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी लोगर लाल ने अपने पास से 500-500 रूपये के 200 नोट कुल 1,00,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के पेश किये। उपरोक्त समस्त नोटों के नम्बर पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक को उसके साथ लाये फिनोफथलीन पाउडर की शीशी के टेक्सी वाहन से तलब किया गया एवं उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों ओर श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक से फिनोफ्थेलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी की

पहनी हुई जब्बे की सामने की दाहिनी जेब की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री गोपालडांगी से लिवायी जाकर उक्त नोटों को श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक से परिवादी के पहनी हुई जब्बे की सामने की दाहिनी जेब में कोई शैः न छोडते हुए मुनासिब हिदायत के रखवाए जाकर श्री गुलाबसिंह हैडकानि से एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की उंगलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी, परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफ्थेलीन पाउडर उसकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को फिकवाकर फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी को श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक से फिकवाया गया तथा उपरोक्त प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को एवं अखबार को जलाकर नष्ट किया गया । परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उनके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे तथा रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे, रिश्वती राशि दे चुकने के बाद सिर पर बन्धा हुआ साफा को उतार कर सिर पर दो बार हाथ फेरकर ईशारा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को देखते हुए गोपनीय ईशारा करे। उपरोक्त निर्धारित ईशारा सभी ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को बताया गया। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शीशीयॉ, ढक्कन चम्मच इत्यादि को श्री गुलाबसिंह हैडकानि. से साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। रिश्वती राशि के लेनदेन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को रिकॉर्ड करने हेतु परिवादी को ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मुनासिब हिदायत के सुपूर्द किया गया एवं श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक को मौके से मय फिनोफथलीन पाउडर की शिशि के आवश्यक हिदायत के रवाना ब्यूरो इकाई उदयपुर किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी नोट व सुपुर्दगी नोट, दृष्टान्त फिनोफ्थलीन एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर पृथक से मुर्तिब कर संबधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री नवलसिंह कनिष्ठ सहायक, श्री गजेन्द्र गुर्जर सउनि, श्री पुष्करलाल हैडकानि. व सुश्री सोनल म.कानि. व श्री गुलाबसिंह हैडकानि. मय ट्रेप बॉक्स के टैक्सी वाहन तथा श्री रतनसिंह राजपुरोहित पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री गोपालडांगी, श्री नारायणलाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, श्री अख्तर हैडकानि, श्री महेश कुमार, धीरेन्द्रसिंह, श्री बाबुलाल कानिगण मय सरकारी वाहन के तथा श्री टीकराम कानि व सुरेश कुमार कानिगण को परिवादी द्वारा उपलब्ध कराई गई मोटरसाईकिल से रवाना होने से पहले परिवादी को ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकार्डर चालु कर सुपुर्द कर रवाना आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना की दूकान कस्बा वल्लभगनर की ओर कर पीछे-पीछे हमराहीयान भी रवाना हुए। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री रतनसिंह राजपुरोहित पुलिस उप अधीक्षक स्वतंत्र गवाहान श्री नवलसिंह कनिष्ठ सहायक, श्री गोपालडांगी, मय ट्रेप पार्टी के सदस्यगण पैरा उपरोक्त का रवाना हुए थे जो आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना की दूकान केसरीमल मोहनलाल पोखरना नाम की खाद व बीज कस्बा वल्लभनगर की ओर पहुंचे जहां परिवादी आरोपी दलाल की दूकान में गया व हम सभी आरोपी दलाल कमलेश पोखरना की दूकान के आस-पास ही अपनी-अपनी स्थिति छुपाये हुए परिवादी के रिश्वती राशि लेन-देन का पूर्व निर्धारित ईशारे में खडे थे कि परिवादी कुछ समय बाद आरोपी दलाल की दूकान से बिना ईशारे के अपनी मोटरसाईकिल से रवाना हुआ पीछे-पीछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व श्री रतनसिंह पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के रवाना हो कस्बे के कुछ आगे एकान्त में परिवादी रूका । जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा भी वाहन को रोका व परिवादी से डिजीटल टेप रिकार्डर प्राप्त कर उसे बन्द अपने पास सुरक्षित रखा व परिवादी को उसके परिचित नारायणलाल के फार्म हाउस कस्बा राणाकुडी पर समय करीबन 1.50 पीएम पर पहुंचे। जहां पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित स्वतंत्र गवाहान व श्री रतनसिंह राजपुरोहित एवं ब्यूरो जाब्ते के समक्ष परिवादी को बिना ईशारे का कारण पूछा गया तो परिवादी ने बताया कि श्री कमलेश पोखरना ने मुझे कहा कि अभी मेडम भीण्डर गई हुई है उनके आने पर मैं तुम्हारे को फोन करता हूं श्री बजरंगसिंह मीणा कानि. को पैसे नहीं देगें। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस मय हमराहियान के आरोपी दलाल के फोन आने के इन्तजार में परिवादी के परिचित नारायणलाल के फार्म हाउस कस्बा राणाकुडी पर मुकिम रहें। परिवादी के मोबाईल पर आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना का कॉल आया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकार्डर चालु कर वार्ता को रिकार्ड किया गया वार्तानुसार आरोपी दलाल द्वारा परिवादी को पूछा गया कि कहां हो मेडम से बात हो गई है आ जा ओ परिवादी को आरोपी दलाल द्वारा पुनः उसकी दूकान पर बुला गया है जिस पर समय करीबन 3.21 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा

परिवादी को डिजीटल टेप रिकार्डर चालु कर परिवादी को उसकी मोटरसाईकल से आरोपी दलाल की दूकान की और रवाना कर पीछे-पीछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री नवलसिंह कनिष्ठ सहायक, श्री गजेन्द्र गुर्जर सउनि, श्री पुष्करलाल हैडकानि. व सुश्री सोनल म.कानि. व श्री गुलाबसिंह हैडकानि. मय ट्रेप बॉक्स के टैक्सी वाहन तथा श्री रतनसिंह राजपुरोहित पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री गोपालडांगी, श्री नारायणलाल सहायक प्रशानिक अधिकारी, श्री अख्तर हैडकानि, श्री महेश कुमार, धीरेन्द्रसिंह, श्री बाबुलाल कानिगण मय सरकारी वाहन के तथा श्री टीकाराम कानि व सुरेश कुमार कानिगण को परिवादी द्वारा उपलब्ध कराई गई मोटरसाईकिल से रवाना हुए। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री रतनसिंह राजपुरोहित पुलिस उप अधीक्षक स्वतंत्र गवाहान श्री नवलसिंह कनिष्ठ सहायक, श्री गोपालडांगी, मय ट्रेप पार्टी के सदस्यगण पैरा उपरोक्त का रवाना हुए थे जो आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना की दूकान केसरीमल मोहनलाल पोखरना नाम की खाद व बीज कस्बा वल्लभनगर की ओर पहुंचे जहां परिवादी आरोपी दलाल की दूकान में गया व हम सभी आरोपी दलाल कमलेश पोखरना की दूकान के आस-पास ही अपनी-अपनी स्थिति छुपाये हुए परिवादी के रिश्वती राशि लेन-देन का पूर्व निर्धारित ईशारे में खडे थे समय करीब 4.35 पी.एम. पर केसरीमल मोहनलाल पोखरना नाम की खाद व बीज की दूकान के बाहर से परिवादी ने अपने सिर पर बन्धा हुआ साफा को उतार कर सिर पर दो बार हाथ फेरकर पूर्व निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री रतनसिंह राजपुरोहित पुलिस उप अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्य तेज-तेज कदमों से चलकर परिवादी के पास पहुचें। इसी दौरान एक व्यक्ति दूकान से बाहर आकर पल्सर मोटर साईकिल को तेज गति से वल्लभनगर कस्बे की ओर भाग गया जिसका ब्यूरो जाब्ता श्री नारायणलाल प्रशासनिक अधिकारी, श्री अख्तर हैडकानि, श्री बाबुलाल, महेश व श्री धिरेन्द्र सिंह कानिगणों को पीछा करने के निर्देश दिये व महिला कानि को पुलिस थाना वल्लभनगर स्थित आरोपी कानि.श्री बजरंगसिंह मीणा के पुलिस थाना परिसर में स्थित सरकारी आवास की निगरानी रखने हेतु रवाना पुलिस थाना वल्लभनगर किया गया एवं परिवादी ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश की, जिसे बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा गया एवं दूकान में प्रवेश किया जहां पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने आने के मन्तव्य से अवगत करा ट्रेप टीम का परिचय देकर कुर्सी टेबल पर बैठे व्यक्ति से उसका परिचय पूछा गया तो उसने अपना नाम श्री कमलेश पोखरना पुत्र भंवरलाल जी पोखरना उम्र 40 साल निवासी पोखरना गली सदर बजार वल्लभनगर जिला उदयपुर होना बताने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ते के समक्ष उपस्थित परिवादी श्री लोगरलाल की ओर ईशारा कर श्री कमलेश पोखरना से परिवादी से ली गई रिश्वती राशि के बारे में पूछा तो पहले तो श्री कमलेश पोखरना ने परिवादी को पहचानने से मना कर दिया। जिस पर उपस्थितिन के समक्ष ही परिवादी लोगरलाल द्वारा स्वतः बताया गया कि ये ही कमलेश पोखरना है जिसके द्वारा मुझसे मेरे जेसीबी व ट्रेक्टर वाहन छोडने की एवज में थानाधिकारी वल्लभनगर दीपिका राठौड के नाम से 1,50,000 रूपये की मांग की जा रही है, और अभी अभी इसी दूकान पर श्री बजरंगसिंह कानि. एवं इन्होने मुझसे थानाधिकारी वल्लभनगर दीपिका राठौड के नाम से मेरे जेसीबी व टेक्टर वाहन छोडने की एवज में 1.00 लाख रूपये लेकर अपने हाथों से गिनकर उसमें से 20,000 रूपये मुझे वापस दिये व शेष 80,000 रूपये अपनी टेबल की दराज में रखी किताब में रखी है तथा मैं अभी बाहर आकर आपको ईशारा किया इसी दौरान श्री बजरंगसिंह कानि. मौका देखकर अपनी पल्सर मोटरसाईकिल से भाग गया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थितिन के समक्ष ही श्री कमलेश पोखरना से परिवादी से ग्रहण की गई 80,000 रूपये के बारे में पूछा गया तो श्री कमलेश पोखरना काफी गबरा गया व काफी पसीना-पसीना हो गया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री कमलेश पोखरना को ढांढस देकर तसल्ली देकर 80,000 रूपये के बारे में पूछा गया तो श्री कमलेश पोखरना जोर-जोर से रोने लग गया व कहने लगा कि साहब मुझसे गलती हो गई मैंने ये 80,000 रूपये मेरे लिये नहीं लिये है ये तो थानाधिकारी दीपिका राठौड के द्वारा उनके थाने के कान्स्टेबल श्री बजरंगसिंह द्वारा मुझे लेने हेतु कहा है, जो मैंने अभी श्री लोगरलाल से लिये थे जो मैंने मेरे टेबल की दराज में रखी हुई किताब में रखे हैं, अभी श्री बजरंगसिंह मीणा कानिस्टेबल भी यहीं था लेकिन वो एकदम यहां से भाग गया है। आरोपी श्री कमलेश पोखरना द्वारा रिश्वती राशि अपने दोनो हाथों से ग्रहण कर गिनकर उसमे से 20,000 रूपये परिवादी को वापस लौटाये हैं। आरोपी श्री कमलेश पोखरना के दोनो हाथों का धोवन का घोल लिया जाना वांछित होने से उपस्थितिन के समक्ष ही टेक्सी वाहन में रखे ट्रेप बॉक्स को श्री गुलाबसिंह हैडकानि. से मंगवाया जाकर उसमें से दो साफ प्लास्टिक की डिस्पोजल पारदर्शी गिलास में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिन्हें दोनो स्वतन्त्र गवाहान व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। एक प्लास्टिक डिस्पोजल पारदर्शी गिलास के घोल में आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन ने स्वीकार किया। इस घोल को कॉंच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर बन्द करा मार्क RH-1 व RH-2 अंकित करा श्री गुलाबसिंह हैडकानि. से सिलचिट करवा चिट व कपड़े पर दोनो गवाहान, परिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना के बायें हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को दूसरे प्लास्टिक डिस्पोजल पारदर्शी गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन ने भी स्वीकार

किया। इस हल्के गुलाबी घोल को कॉंच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर बन्द करा मार्क LH -1 व LH-2 अंकित करा श्री गुलाबसिंह हैडकानि. से सिलचिट करवा व कपड़े पर दोनो गवाहान एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । इसके उपरान्त मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर स्वतंत्र गवाह श्री गोपालडांगी से श्री कमलेश पोखरना की टेबल की दराज में रखी किताब की तलाशी लीवाई गई तो टेबल की दराज में रखी किताब से 500-500 रूपये के 160 नोट बरामद हुए। इसके उपरान्त मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतन्त्र गवाहान से उक्त बरामदशुदा रिश्वती राशि 80,000 रूपये का मिलान पूर्व में मूर्तिब फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट में अंकित नोट के नम्बरों से किया गया तो मिलान किया तो उक्त नोटो के नम्बर का मिलान हूबहू हुआ। इसके उपरान्त स्वतंत्र गवाह श्री गोपालडांगी को आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना के द्वारा अपनी टेबल की दराज में रखी हुई रिश्वत राशि को दोनो गवाहान के समक्ष रिश्वत राशि 80,000 रूपये को एक सफेद कागज में श्री गुलाबसिंह हैडकानि. से सिलचिट करवा दोनो गवाहान, परिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये। आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना द्वारा रिश्वत राशि परिवादी श्री लोगरलाल से ग्रहण कर अपनी टेबल की दराज में रखी अखण्ड ज्योति माह फरवरी किताब के अन्दर पृष्ठ संख्या 31 पर रखी गई जो दौराने ट्रेप कार्यवाही बरामद हुई हैं, जिसका धोवन लिया जाना आवश्यक हैं। इसके बाद श्री गुलाबसिंह हैडकानि. से ट्रेप बाक्स में रखे एक साफ प्लास्टिक की डिस्पोजल पारदर्शी गिलास में साफ पानी भरवाकर इनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिन्हें दोनो स्वतन्त्र गवाहान व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। अखण्ड ज्योति माह फरवरी की किताब के अन्दर पृष्ठ संख्या 31 पर ट्रेप बॉक्स में से ही एक कपडे की चिन्दी को श्री गुलाबसिंह हैडकानि. से निकलवाकर उसे साफ पानी से गिला कर अखण्ड ज्योती माह फरवरी की किताब के अन्दर पृष्ठ संख्या 31 पर घुमाया जाकर उक्त पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल डुबोया गया तो धोवन के घोल का रंग गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन ने स्वीकार किया। इस घोल को कॉंच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर बन्द करा मार्क K-1 व K-2 अंकित करा श्री गुलाबसिंह हैडकानि. से सिलचिट करवा चिट व कपड़े पर दोनो गवाहान, परिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना की अखण्ड ज्योती माह फरवरी की किताब के संबंधित पृष्ठ पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर किताब को एक सफेद कपडे की थैली डालकर थैली पर एक कागज की चीट लगाकर मार्क ज्ञ अंकित करा संबंधितों के हस्ताक्षर कराये जाकर कपडे की थैली को श्री गुलाबसिंह हैडकानि. से सिलचिट करवाया गया। ट्रेप कार्यवाही के दौराने आरोपी दलाल श्री पोखरना के दोनों हाथों का धोवन व किताब के धोवन में उपयुक्त तीन पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलासों एवं कपडे की चिन्दी को जलाकर नष्ट किया गया तथा आरोपी दलाल द्वारा परिवादी को पुनः लौटाई गई राशि 20,000 रूपये जो कि ट्रेप कार्यवाही में नम्बरी नोट होने से उक्त 20,000 रूपये के नम्बरी नोट वजह सबूत होने से एक सफेद कागज में श्री गुलाबसिंह हैडकानि. से सिलचिट करवा दोनो गवाहान, परिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं फिनोफ्थेलीन पाउडर एवं बरामदगी रिश्ववती राशि पृथक से मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी, डिटेन शुदा आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना व ब्यूरो जाब्ता श्री गजेन्द्र गुर्जर सउनि, श्री पुष्करलाल हैडकानि., श्री टीकराम, श्री सुरेश कुमार कानिगण जरिये टेक्सी वाहन से मय जब्तशुदा आर्टिकल मय लेपटॉप आदि संशाधन के आरोपी दलाल कमलेश पोखरना की दूकान से रवाना पुलिस थाना वल्लभनगर संदिग्ध थानाधिकारी से आवश्यक पूछताछ एवं श्री बजरंगसिंह मीणा कानिस्टेबल की तलाश हेतु पुलिस थाना वल्लभनगर हुआ। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी, डिटेन शुदा आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना व ब्यूरो जाब्ता श्री गजेन्द्र गुर्जर सउनि, श्री पुष्करलाल हैडकानि., श्री टीकराम, श्री सुरेश कुमार कानिगण जरिये टेक्सी वाहन से मय जब्तशुदा आर्टिकल मय लेपटॉप आदि संशाधन के पुलिस थाना वल्लभनगर से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त के रवाना हो के घटनास्थल रिश्वत राशि ग्रहण एवं बरामदगी स्थल आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना की दूकान केसरीमल मोहनलाल पोखरना नाम की खाद व बीज कस्बा वल्लभनगर पहुंच गवाहान की उपस्थिति में परिवादी की निशादेही से घटनास्थल नक्शा मौका मुर्तिब किया जाकर संलग्न पत्रावली किया गया। बाद फारिक अग्रिम लिखापढी के लिये पंचायत समिति वल्लभनगर हुआ। उपरोक्त का रवानाशुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान व सिलबन्द आर्टिकल के पंचायत समिति वल्लभनगर पहुंचा जहां पर इस समय ब्यूरो जाब्ता श्री नारायणलाल प्रशासनिक अधिकारी, श्री अख्तर हैडकानि, श्री बाबुलाल, महेश व श्री धिरेन्द्र सिंह कानिगणों पंचायत समिति वल्लभनगर पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समक्ष उपस्थित होकर अवगत कराया गया कि आरोपी श्री बजरंगसिंह मीणा कानिस्टेबल की कस्बा वल्लभनगर और थाना परिसर में काफी तलाश की गई किन्तु पता नहीं चला व पुलिस थाने के मुलामानों से भी आरोपी श्री बजरंगसिंह मीणा कानिस्टेबल के बारे में पता किया किन्तु वो नहीं मिला। ततपश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों स्वंतत्र गवाहा, परिवादी एवं आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना के समक्ष दिनांक 26.03.2024 को समय करीबन 10.50 एएम पर परिवादी श्री लोगरलाल, एवं आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना के मध्य श्री कमलेश पोखरना की दूकान केसरीमल मोहनलाल पोखरना नाम की खाद व बीज कस्बा वल्लभनगर पर रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता प्रथम जिसे परिवादी द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो से श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ

सहायक से लेपटोप से कनेक्ट करा कर बारी-बारी से चलाकर स्वतंत्र गवाह, परिवादी एवं आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना को सुनाई गई। जिस पर परिवादी एवं आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना ने अपनी अपनी आवाज की होने की ताईद की। जिस पर श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक से फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार करवाई जाकर स्वंतत्र गवाह, परिवादी एवं आरोपी दलाल के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की एक मूल सीडी एवं डब सीडी तैयार करवाई जाकर मूल सीडी को कपडे की थैली में सीलचिट किया जाकर मार्क C अंकित कर थैली पर गवाह, परिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवायें गये । डब सीडी को अनसिल्ड रखा गया। आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना का मोबाईल फोन सेमसंग केम्पनी Galaxy-A12 जिसके मोडल नं. SM- AM125FFFFF/DSDS जिसके इएमआई क्रमशः 357953581514285 व 318760291514286 बरंग काला ड्यूअल सिम है। उक्त मोबाईल ड्यूअल सिम होकर एक सिम जिओ कम्पनी की 9079706191 एवं दूसरी सिम एयरटेल 9414682325 है। उक्त मोबाईल को वजह सबूत एक सफेद कपडे की थैली में सिलचिट कर जब्त किया जाकर थैली पर संबधितो के हस्ताक्षर करा मार्क "M" अंकित किया गया। फर्द जब्ती पृथक से मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर कराये गये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान श्री गोपालडांगी व श्री नवल सिंह, परिवादी श्री लोगरलाल डिटेन मय ब्यूरो जाब्ते के मय जब्तशुदा आर्टिकल्स मय ट्रेप बॉक्स के टेक्सी वाहन के रवाना हो पुलिस थाना वल्लभनगर पहुंचा जहां पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी के जेसीबी व ट्रेक्टर वाहन के अक्षान्तर व देशान्तर दर्शाते हुए फोटो लिवाये जोकर संलग्न पत्रावली किये गये एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री रतनसिंह पुलिस उप अधीक्षक को आरोपी श्री बजरंगसिंह के सरकारी आवास की खाना तलाशी लेने हेतु उपरोक्त दोनो स्वतंत्र गवाह को सुपुर्द कर व बाद खाना तलाशी के महिला कानि. व स्वतंत्र गवाह को ब्यूरो कार्यालय उपस्थित होने के निर्देश दिये गये व मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो जाब्ता व जब्त शुदा आर्टिकल मय डिटेन शुदा आरोपी व परिवादी के रवाना उदयपुर समय करीबन 8.50 पीएम पर हुआ। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी, डिटेन शुदा आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना व ब्यूरो जाब्ता श्री गजेन्द्र गुर्जर सउनि, श्री पुष्करलाल हैडकानि., श्री टीकराम, श्री सुरेश कुमार कानिगण जरिये टेक्सी वाहन से मय जब्तशुदा आर्टिकल मय लेपटॉप आदि संशाधन के बयूरो इकाई उदयपुर पहुंचा सिलबन्द आर्टिकल श्री गुलाब सिंह हैडकानि. को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इन्द्रदाज कर सुरक्षित मालखाना में रखन हेतु सम्भलाये गये। इसी दौरान समय करीबन 10.30 पीएम पर श्री रतनसिंह पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री गोपालडांगी व नवलसिंह व ब्यूरो जाब्ता व महिला कानि. सोनल के उपस्थित ब्यूरो इकाई हुए जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री रतनसिंह पुलिस उप अधीक्षक व ब्यूरो इकाई डूंगरपुर के बाद कार्यवाही ब्यूरो इकाई पर उपस्थित हुए। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री रतनसिंह पुलिस उप अधीक्षक व ब्यूरो इकाई डूंगरपुर व महिला कानि. सोनल को कार्यवाही से रूखसत दी गई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों स्वंतत्र गवाहान, परिवादी एवं आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना के समक्ष दिनांक 26.03.2024 समय करीबन 2.15 पीएम पर परिवादी श्री लोगरलाल, एवं आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना के मध्य श्री कमलेश पोखरना की दूकान केसरीमल मोहनलाल पोखरना नाम की खाद व बीज कस्बा वल्लभनगर पर रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय जिसे परिवादी द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो से श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक से लेपटोप से कनेक्ट करा कर बारी-बारी से चलाकर स्वतंत्र गवाह, परिवादी एवं आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना को सुनाई गई। जिस पर परिवादी एवं आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना ने अपनी अपनी आवाज की होने की ताईद की। जिस पर श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक से फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार करवाई जाकर स्वंतत्र गवाह, परिवादी एवं आरोपी दलाल के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की एक मूल सीडी एवं डब सीडी तैयार करवाई जाकर मूल सीडी को कपडे की थैली में सीलचिट किया जाकर मार्क "C-1" अंकित कर थैली पर गवाह, परिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवायें गये। डब सीडी को अनसिल्ड रखा गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों स्वंतत्र गवाहा, परिवादी एवं आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना के समक्ष दिनांक 26.03.2024 समय करीबन 07.01 पीएम पर परिवादी श्री लोगरलाल, एवं आरोपी बजरंगसिंह कानिस्टेबल नं. 1101 व थानाधिकारी दिपीका राठौड के मध्य पुलिस थाना वल्लभनगर पर रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता तृतीय जिसे परिवादी द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो से श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक से लेपटोप से कनेक्ट करा कर बारी-बारी से चलाकर स्वतंत्र गवाह, परिवादी एवं आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना को सुनाई गई। जिस पर परिवादी एवं आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना ने अपनी अपनी आवाज की होने की ताईद की। जिस पर श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक से फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार करवाई जाकर स्वंतत्र गवाह, परिवादी एवं आरोपी दलाल के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की एक मूल सीडी एवं डब सीडी तैयार करवाई जाकर मूल सीडी को कपडे की थैली में सीलचिट किया जाकर मार्क "C-2" अंकित कर थैली पर गवाह, परिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवायें गये। डब सीडी को अनसिल्ड रखा गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों स्वंतत्र गवाहान, परिवादी एवं आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना के समक्ष दिनांक 27.03.2024 को समय करीबन 12.19 पर परिवादी श्री लोगरलाल, एवं आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना के मध्य श्री कमलेश पोखरना की दूकान केसरीमल मोहनलाल पोखरना नाम की खाद व बीज कस्बा वल्लभनगर पर रूबरू हुई रिश्वत राशि लेन-देन वक्त वार्ता जिसे परिवादी द्वारा

डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो से श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक से लेपटोप से कनेक्ट करा कर बारी-बारी से चलाकर स्वतंत्र गवाह, परिवादी एवं आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना को सुनाई गई। जिस पर परिवादी एवं आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना ने अपनी अपनी आवाज की होने की ताईद की। जिस पर श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक से फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार करवाई जाकर स्वंतत्र गवाह, परिवादी एवं आरोपी दलाल के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की एक मूल सीडी एवं डब सीडी तैयार करवाई जाकर मूल सीडी को कपडे की थैली में सीलचिट किया जाकर मार्क "C-3" अंकित कर थैली पर गवाह, परिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवायें गये। डब सीडी को अनसिल्ड रखा गया। तदुपरांत मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों स्वंतत्र गवाहान, परिवादी एवं आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना के समक्ष दिनांक 27.03.2024 समय करीबन 3.18 पीएम पर परिवादी श्री लोगरलाल के मोबाईल नम्बर 6377402759 से आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना के मोबईल नम्बर 9414682325 पर हुई वार्ता जिसे परिवादी द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो से श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक से लेपटोप से कनेक्ट करा कर बारी-बारी से चलाकर स्वतंत्र गवाह, परिवादी एवं आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना को सुनाई गई। जिस पर परिवादी एवं आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना ने अपनी अपनी आवाज की होने की ताईद की। जिस पर श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक से फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार करवाई जाकर स्वंतत्र गवाह, परिवादी एवं आरोपी दलाल के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की एक मूल सीडी एवं डब सीडी तैयार करवाई जाकर मूल सीडी को कपडे की थैली में सीलचिट किया जाकर मार्क "C-4" अंकित कर थैली पर गवाह, परिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवायें गये। डब सीडी को अनसिल्ड रखा गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों स्वंतत्र गवाहान, परिवादी एवं आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना के समक्ष दिनांक 27.03.2024 को समय करीबन 3.20 पीएम पर परिवादी श्री लोगरलाल, एवं आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना के मध्य श्री कमलेश पोखरना की दूकान केसरीमल मोहनलाल पोखरना नाम की खाद व बीज कस्बा वल्लभनगर पर रूबरू हुई रिश्वत राशि लेन-देन वक्त वार्ता जिसे परिवादी द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो से श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक से लेपटोप से कनेक्ट करा कर बारी-बारी से चलाकर स्वतंत्र गवाह, परिवादी एवं आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना को सुनाई गई। जिस पर परिवादी एवं आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना ने अपनी अपनी आवाज की होने की ताईद की। जिस पर श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक से फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार करवाई जाकर स्वंतत्र गवाह, परिवादी एवं आरोपी दलाल के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की एक मूल सीडी एवं डब सीडी तैयार करवाई जाकर मूल सीडी को कपडे की थैली में सीलचिट किया जाकर मार्क "C-5" अंकित कर थैली पर गवाह, परिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवायें गये। डब सीडी को अनसिल्ड रखा गया। तत्पष्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों स्वंतत्र गवाहान, परिवादी एवं आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना के समक्ष दिनांक 27.03.2024 समय करीबन 4.42 पीएम पर परिवादी आरोपी दलाल कमलेश पोखरना के मोबाईल नम्बर 9079706191 से आरोपी श्री बजरंगसिंह मीणा कानिस्टेबल के मोाबईल नम्बर 9785981153 पर हुई वार्ता जो ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हैं। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक से ब्यूरो के लेपटोप से कनेक्ट करा कर बारी-बारी से चलाकर स्वतंत्र गवाह, परिवादी एवं आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना को सुनाई गई। जिस पर परिवादी एवं आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना ने अपनी अपनी आवाज की होने की ताईद की। जिस पर श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक से फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार करवाई जाकर स्वंतत्र गवाह, परिवादी एवं आरोपी दलाल के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की एक मूल सीडी एवं डब सीडी तैयार करवाई जाकर मूल सीडी को कपडे की थैली में सीलचिट किया जाकर मार्क "C-6" अंकित कर थैली पर गवाह, परिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवायें गये। डब सीडी को अनसिल्ड रखा गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों स्वंतत्र गवाहान, परिवादी एवं आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना के समक्ष दिनांक 27.03.2024 समय करीबन 4.55 पीएम पर परिवादी आरोपी दलाल कमलेश पोखरना के मोबाईल नम्बर 9079706191 से थानाधिकारी वल्लभनगर दीपिका राठौड के मोाबईल नम्बर 9468753595 पर हुई वार्ता जो ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हैं। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक से ब्यूरो के लेपटोप से कनेक्ट करा कर बारी-बारी से चलाकर स्वतंत्र गवाह, परिवादी एवं आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना को सुनाई गई। जिस पर परिवादी एवं आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना ने अपनी अपनी आवाज की होने की ताईद की। जिस पर श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक से फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार करवाई जाकर स्वंतत्र गवाह, परिवादी एवं आरोपी दलाल के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की एक मूल सीडी एवं डब सीडी तैयार करवाई जाकर मूल सीडी को कपडे की थैली में सीलचिट किया जाकर मार्क "C-7" अंकित कर थैली पर गवाह, परिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवायें गये। डब सीडी को अनसिल्ड रखा गया। आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना द्वारा संज्ञेय अपराध कारित किया गया। अब तक की कार्यवाही से आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए पीसी एक्ट 1988 (संशोधित 2018) एवं 120बी भादस का प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर गिरफ्तारी की सूचना नियमानुसार आरोपी के परिजनो को दी गई। फर्द गिरफ्तारी पृथक से फर्द मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दौराने ट्रेप कार्यवाही दिनांक 26.03.2024 को रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ताओं, दिनांक 27.03.2024 को हुई मोबाईल फोन

वार्ताओं एवं रिश्वत राशि लेनदेन वार्ताओं के दौरान डिजिटल टेप रिकार्डर में प्रयुक्त मैमोरी कार्ड सेनडिस्क कम्पनी अल्ट्रा का 32 जीबी बरंग लाल व ग्रे को मूल ही परिवादी एवं गवाहान आरोपी के समक्ष डिजिटल टेप रिकॉर्डर से निकालकर वजह सबूत फर्द जब्ती के जब्त कर एक मेमोरी कार्ड कवर में रखा जाकर उसे एक सफेद कपडे की थैली मं रखकर सिलचिट कर जब्त किया जाकर थैली पर संबधितो के हस्ताक्षर करा मार्क "M-1" अंकित किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना को रिश्वत राशि मांग सत्यापन, मोबाईल फोन वार्ता एवं लेनदेन वाताओं में उसकी आवाज ब्यूरो के रिकार्डर में रिकॉर्ड होने से उसे उसकी आवाज का नमूना एवं अपने बचाव में अपना स्पष्टीकरण देने हेतु पत्र क्रमांक 958 दिनांक 28.03.2024 दिया गया। जिस पर आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना द्वारा उक्त पत्र ने अपनी आवाज का नमूना नही देने एवं अपना स्पष्टीकरण माननीय न्यायालय में पेश करने बाबत अंकित कर अपने हस्ताक्षर किये। पत्र की प्रति को गवाह के हस्ताक्षर करा शामिल पत्रावली किया गया। श्री सुरेश कुमार व मांगीलाल कानिगण मय सरकारी वाहन से आरोपी आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना को बाद राजकीय एमबी चिकित्सालय उदयपुर से स्वास्थय परीक्षण करा ब्यूरो ईकाई पर उपस्थित आये। आरोपी की स्वास्थ्य परीक्षण शामील पत्रावली की गई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय गिरफ्तारशुदा आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना को माननीय सेशन एवं विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण मामलात उदयपुर क्रमांक 01 पर प्रस्तुत किये जाने हेतु मय रिमाण्ड एवं पत्रावली कानि0 श्री मांगीलाल, श्री सुरेश कुमार के रवाना हो आरोपी का जेसी रिमाण्ड स्वीकृत करा केन्द्रीय कारागृह उदयपुर में जमा करवाया जाकर जमा रसीद प्राप्त की गई। इस प्रकार आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना पुत्र भंवरलाल जी पोखरना उम्र 40 साल निवासी पोखरना गली सदर बजार वल्लभनगर जिला उदयपुर व श्री बजरंगसिंह मीणा कानिस्टेबल द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना वल्लभनगर दीपिका राठौड के नाम से परिवादी के जेसीबी व टेक्टर वाहन छोडने की एवज में 1.50 लाख रूपये की मांग करना जिस पर परिवादी श्री लोगरलाल व आरोपी दलाल श्री कमलेश पोखरना व श्री बजरंगसिंह मीणा कानिस्टेबल नं. 1011 थाना वल्लभनगर द्वारा मांग सत्यापन वार्तायें दिनांक 26-3-2024 के दौरान 1.50 लाख रूपये की मांग करना व ट्रेप दिनांक 27-3-2024 को रिश्वती राशि परिवादी की व्यवस्थानुसार 1.00 लाख रूपये देने पर आरोपी दलाल द्वारा परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटो को अपने हाथों से गिनकर उसमें से 20 हजार रूपये वापस परिवादी को खर्चे पानी के देना व इसी दौरान मौके से कानिस्टेबल बरंगसिंह मीणा नं. 1011 को एसीबी की शंका अथवा भनक लग जाने से भाग जाना आरोपीगण श्री कमलेश पोखरना पुत्र भंवरलाल जी पोखरना उम्र 40 साल निवासी पोखरना गली सदर बजार वल्लभनगर जिला उदयपुर व श्री बजरंग सिंह मीणा कानिस्टेबल नं. 1011 के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 1988 (संषाधित 2018) व 120बी भादस के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध करना एवं थानाधिकारी पुलिस थाना वल्लभनगर जिला उदयपुर श्रीमती दीपिका राठौड की संदिग्ध भूमिका के बारे में विस्तृत अनुसंधान किया जाना उचित होगा। अतः बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान की सेवामें साद्र प्रेेषित हैं। (विक्रम सिंह) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर.....कार्यवाही पुलिस.... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विक्रम सिंह, अतिरिक्त पलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों उदयपुर ने जरिये ई–मेल प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादसं में आरोपीगण 1-श्री बजरंग सिंह, कानिस्टेबल नम्बर 1011, पुलिस थाना वल्लभनगर, जिला उदयपुर एवं 2- श्री कमलेश पोखरना पुत्र श्री भंवरलाल जी पोखरना, निवासी पोखरना गली, सदर बजार वल्लभनगर, जिला उदयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 49/2024 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी श्री राजीव जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर (एस.यू.) उदयपुर को सुपुर्द कर नियमानुसार जारी की गई।उक्त की रोजनामचाआम रपट 341 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर। क्रमांक 234-37 दिनांक 29.3.2024 प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1.विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर । 2.पुलिस अधीक्षक जिला उदयपुर ।3.उप महानिरीक्षक पुलिस,भष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,उदयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RAJEEV JOSHI **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 29/03/2024 16:04:45

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	31/07/1993				
2	Male	1984				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)